

कार्यालय निदेशक(रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
कार्यालय ओदश

संख्या:- 529 क.प्र.से/जेम पोर्टल/2017-18

दिनांक:- 03.11.17

उत्तर प्रदेश के शासकीय एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बंध में एवं सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा-निर्देश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 11/2017/523/18-2-2017-97(ल०उ०)/2016 दिनांक 23, अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या 12/2017/540/18-2-2017-97(ल०उ०) /2016 दिनांक 25, अगस्त, 2017 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, प०पा० विभाग उ०प्र०।
2. समस्त अपर निदेशक (ग्रेड-2), प०पा० विभाग उ०प्र०।
3. समस्त अपर निदेशक (ग्रेड-1)/अ०नि० (ग्रेड-2) ,मुख्यालय, प०पा० विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, डी.एफ.एस. केन्द्र, प०पा० विभाग उ०प्र०।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, प०पा० विभाग उ०प्र०, लखनऊ
6. समस्त प्रक्षेत्र प्रबंधक/प्रक्षेत्र अधिक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र।
7. उपनिदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ।
8. समस्त उपनिदेशक, मुख्यालय।
9. परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन, प्रक्षेत्र, भैसोड़ा, नौगढ़, चंदौली।
10. प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तलाब, लखनऊ।
11. रजिस्टार, पशुचिकित्सा परिषद, उ०प्र०।
12. परिवहन अधिकारी, मुख्यालय।

भवदीय



(डा० ए.एन. सिंह)
निदेशक, रो०नि० एवं प्रक्षेत्र

प्रेषक

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा आनलाइन प्लेट फार्म Government e-Market Place, जेम (GeM) विकसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जेम (GeM) को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम-2017 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है। इस प्लेटफार्म पर आपूर्तिकर्ताओं/ विक्रेताओं के साथ विविध वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों हेतु क्रय व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाया जाना संभव हुआ है।

2- सामग्री के क्रय के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3(SP)/2010, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)-2016 को प्रख्यापित किया है। इस मैनुअल के अध्याय-8, मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत प्रस्तर-8.4 में सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है। प्रस्तर-8.4 के बिंदु 10 में यह प्राविधान है कि राज्य सरकार सामग्री क्रय हेतु ऐसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किसी प्रक्रिया को अधिसूचित कर सकती है जो क्रय के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप तथा जनहित में हो। यह उल्लेखनीय है कि यह मैनुअल केवल सामग्री के क्रय के लिए प्रभावी है तथा इसमें सेवाओं को लिए जाने की व्यवस्था नहीं है।

3- अतः राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं की क्रय प्रक्रिया को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु प्रोक्योरमेंट मैनुअल के प्रस्तर-8.4 के बिंदु 10 की व्यवस्था के अंतर्गत सामग्री के क्रय तथा सेवाओं को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के General Financial Rules-2017 के नियम 149 में निहित प्राविधानों के अनुरूप निम्न व्यवस्था प्रख्यापित की जा रही है:-

(1) जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा। जो सामग्री अथवा सेवायें जेम पर उपलब्ध नहीं हैं, उन के लिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।

(2) उपरोक्तवत् क्रय करने वाले विभागों अथवा संस्थाओं को क्रय किए जाने की दरों के उपयुक्त होने को प्रमाणित किया जाएगा।

(3) क्रय करने वाले सरकारी विभागों अथवा संस्थाओं द्वारा जेम पोर्टल का उपयोग निम्नवत् किया जाएगा:-

(i) ₹0 50,000 तक का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करता हो।

(ii) ₹0 50,000 से अधिक और ₹0 30,00,000 तक का क्रय जेम पर उपलब्ध ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो उपलब्ध आपूर्ति कर्ताओं में से सबसे कम मूल्य का सामान ऑफर कर रहा हो, परंतु शर्त यह है कि कम से कम तीन ऐसे विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जाएगी जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हों। जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बिडिंग और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन के टूल का उपयोग भी क्रेता विभाग द्वारा किया जा सकेगा, अगर सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में निर्णय लेता है।

(iii) ₹0 30 लाख से ऊपर के क्रय में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन टूल का उपयोग कर उस विक्रेता से क्रय किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हुए सबसे कम मूल्य ऑफर करता है।

(iv) ऑनलाइन बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन में आमंत्रण जेम पोर्टल पर उपलब्ध सभी वर्तमान विक्रेताओं अथवा अन्य पंजीकृत विक्रेताओं को उपलब्ध होगा, जो जेम की नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपना प्रस्ताव करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(v) उपरोक्त मौद्रिक सीमा केवल जेम के माध्यम से क्रय करने पर लागू होगी। अन्य विधि से क्रय करने पर पूर्ववत् मौद्रिक सीमा लागू रहेगी।

(vi) क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जेम पोर्टल पर उपलब्ध व्यवसाय विश्लेषक (business analytics) टूल्स, जिसमें जेम पर उपलब्ध अंतिम क्रय मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम क्रय मूल्य इत्यादि सम्मिलित हैं, का उपयोग कर मूल्यों के संबंध में औचित्य सुनिश्चित कर लेंगे एवं उसके बाद ही अपने क्रय आदेश देंगे।

(vii) आवश्यकता को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर क्रय नहीं किया जाएगा।

(viii) संबंधित विभाग जेम पोर्टल के नियम एवं शर्तों के आधार पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रतिनिधानित करने हेतु आदेश निर्गत करेंगे।

(ix) जेम पोर्टल के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग कार्यकारी निर्देश निर्गत कर सकेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये सभी संबंधित को अपने स्तर से सुसंगत निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2017/523(1)/18-2-2017-97(ल030)/2016, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रुद्र प्रताप सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरप्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात लखनऊ:दिनांक 25 अगस्त, 2017
प्रोत्साहन अनुभाग-2

विषय:- जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदेश के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं आदि में सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित गर्वनमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल को अंगीकर करते हुए इस पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस पोर्टल के उपयोग हेतु सभी विभागों/संस्थाओं द्वारा प्राइमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर (बायर/कन्साइनी/डी0डी0ओ0) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारियों को पदनाम से प्राधिकृत करना आवश्यक होगा। उक्त जेमपोर्टल gem.gov.in के मुख पृष्ठ पर ट्रेनिंग लिंक पर जाकर बिन्दु-2 पर जाकर ट्रेनिंग मटेरियल लिंक पर क्रय करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन दिशा-निर्देशों को डाउनलोड कर इसके अनुरूप अपने विभाग में शासकीय उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण कराने का कष्ट करें।

3- सुगमता के लिए पुनः संक्षेप में पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है:-

(i) समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों, संस्थानों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रमुख तथा उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्राइमरी यूजर बनाये जाने के आदेश निर्गत किये जाने होंगे। सुविधा हेतु मॉडल आदेश की प्रति संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(ii) तत्पश्चात् प्राइमरी यूजर द्वारा पोर्टल gem.gov.in पर sign up link पर जाकर स्वयं का पंजीकरण कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(iii) प्राइमरी यूजर द्वारा डिपार्टमेंट के फील्ड में अपने प्रशासकीय विभाग का नाम भरा जाएगा। यदि प्रशासकीय विभाग का नाम उपलब्ध नहीं है तो जेम पोर्टल पर सपोर्ट डेस्क को अवगत कराया जाए तथा उसकी एक प्रति इस विभाग को प्रेषित की जाएगी। तत्पश्चात ऑर्गेनाइजेशन के नाम में अपने विभाग अथवा संस्थान का नाम भरा जाएगा।

(iv) प्राइमरी यूजर के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्न सूचना की आवश्यकता होगी:

- a. आधार नम्बर
- b. आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
- c. सरकारी ई-मेल आई.डी. (nic.in/ gov.in) डोमेन पर (यह आई0डी0 यथा सम्भव पद नाम से होना श्रेयस्कर है)।

(v) एकरूपता के लिए विभागाध्यक्ष/ संस्था प्रमुख द्वारा उक्त मेलआई0डी0 का अकाउंटनेम//यूजरनेम (@सेपूर्वकाभाग) यूजर आई0डी0 के रूप में रखा जाए।

(vi) शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउण्ट को व्यवहृत नहीं किया जाता है, अतः बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाएं। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए।

(vii) जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मेथड में शासकीय विभागों द्वारा Others तथा पुनः नीचे के कॉलम में Others को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाए।

(viii) प्राइमरी यूजर्स के सत्यापन का कार्य सत्यापन (Verifying) अधिकारी विभाग के अधिकारी के रूप में प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा किया जाएगा।

(viii) इस प्रकार प्राइमरी यूजर्स के पंजीकरण के उपरांत उनके द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/अधिकारियों (जहाँ भी सामग्री/ सेवा के क्रय एवं भुगतान की कार्यवाही निष्पादित की जाती है) को सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में क्रेता (बायर), आपूर्ति प्राप्तकर्ता (कंसाइनी) अथवा भुगतानकर्ता की भूमिका में पंजीकृत किया जाएगा।

(ix) प्राइमरी यूजर्स द्वारा सेकेण्डरी यूजर्स के पंजीकरण हेतु उनके ई-मेल (सरकारी) तथा मोबाइल नंबर (आधार पंजीकृत) की जानकारी होना आवश्यक है।

(x) यहां सेकेण्डरी यूजर्स के लिए भी एकरूपता के लिए ई-मेल के यूजर नेम/ अकाउंटनेम (@ से पूर्व के अंश को user id बनाया जा सकता है।

4- उपरोक्तवत् विभाग के अधिकारियों के प्राइमरी यूजर्स एवं सेकेण्डरी यूजर्स के पंजीकरण के उपरांत विभाग द्वारा जेम पोर्टल से क्रय की कार्यवाही की जा सकती है। सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं को प्राप्त करने से पूर्व सक्षम स्तर से क्रय का आवश्यक अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाएगा तथा धनराशि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- जब तक प्रदेश में कोषागार व्यवस्था के जेम पोर्टल से इंटीग्रेशन की व्यवस्था की जा रही है, विभाग द्वारा पंजीकरण कराते हुए भुगतान मेथड के बिन्दु-3 पर अंकित Others को चयनित किया जाए। साथ ही सभी उपयोगकर्ताओं से यह भी अपेक्षित है कि जेम की शर्तों के अनुसार आपूर्ति के 48 घंटे के भीतर Privisional Receipt Certificate (PRC), आपूर्ति के दिनांक से 10 दिन के अन्दर संतोषजनक आपूर्ति के प्रमाण-पत्र Concignee's Receipt and Acceptance Certificate (CRAC) तथा उसके पश्चात् निर्धारित 10 दिन की समयावधि में भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 12/2017/540(1)/18-2-2017 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरप्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।